भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3257

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता

3257. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों का श्रेणीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) तमिलनाडु में उक्त समय के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जिलेवार संख्या कितनी है ;

(ग) उक्त समय के दौरान आयोजित विधिक सहायता क्लीनिक, विधिक जागरूकता कार्यक्रम और लोक अदालतों का ब्यौरा क्या है, साथ ही उनके लाभार्थियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं तक अभिगम और प्रभाव संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा विधिक सहायता पहुँचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने और तमिलनाडु के लोगों के साथ-साथ अन्य पात्र लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्ष (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान तमिलनाडु सहित विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -वार और प्रवर्ग-वार ब्यौरे कमशः **उपाबंध-क1, उपाबंध-क2 और उपाबंध-क3** पर है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) फायदाग्राहियों के जिला-वार डाटा नहीं रखता है।

(ग) : विधिक सेवा क्लीनिकों के कार्यात्मक, विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविरों/आयोजित कार्यक्रमों के ब्यौरे और लोक अदालतें देश में आयोजित किए गए संचालन और उक्त अवधि के दौरान इन विधिक सेवा क्लीनिकों के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है: -

विधिक सेवा क्लीनिक

वित्तीय वर्ष	कार्यात्मक विधिक सेवा क्लीनिकों की संख्या	विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
2023-24	11,384	10,36,040
2024-25	12,019	13,41,986
2025-26	14,813	19,68,005

विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर/कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष	आयोजित शिविरों/कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
2025-26	5,88,014	4,74,12,862

लोक अदालतें

राष्ट्रीय लोक अदालतें नालसा द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से लेकर तालुक स्तर तक एक ही दिन में तिमाही आधार पर देश भर में एक साथ आयोजित की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है: -

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल मामले
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
2025	12,65,89,535	2,18,35,515	14,84,25,050
2026 (मार्च, 2026 तक)	3,46,87,917	59,51,139	4,06,39,056

राज्य लोक अदालतें राज्य के भीतर संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जाती है । राज्य प्राधिकरण अपेक्षाओं के अनुसार राज्य लोक अदालतों को अनुसूचित और आयोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल मामले
2023-24	2,19,230	9,87,873	12,07,103
2024-25	8,05,731	5,39,083	13,44,814
2025-26	4,69,914	5,11,431	9,81,345

स्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ख के अधीन राज्य द्वारा स्थापित स्थायी स्थापन हैं, जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करती हैं। देश में विभिन्न स्थायी लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	निपटाए गए कुल मामले
2023-24	2,32,763
2024-25	2,37,980
2025-26	2,70,685

(घ) और (ङ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 मानीटरी और परामर्शी समितियों (एमएमसी) के गठन के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रगति की मानीटरी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचे के लिए उपबंध करता है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता के कार्यकरण का निर्धारण करती है।

नि:शुल्क विधिक सेवाओं की सुगमता और प्रभावशीलता का निर्धारण समय-समय पर नालसा के तत्वावधान में वर्चुअल और भौतिक दोनों रूप से किया जाता है। नालसा प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों को शामिल करके तमिलनाडु सहित पूरे भारत में विधिक सहायता सेवाओं की सुगमता और पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। देश भर में इसके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, 15100 को प्रचारित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं। इस पहल में दृश्यता को अधिकतम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लोक स्थानों पर नंबर रखना शामिल था कि व्यक्ति, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोग, आसानी से विधिक सहायता ले सकें। एनएएलएसए एसएलएसए और डीएलएसए को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करना जारी रखता है।

2023-24 में, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, अर्थात्, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को जिला स्तर पर प्रारंभिक चरण से

अपील चरण तक दांडिक मामलों में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम शुरू की गई है। नालसा ने दस (10) विभिन्न भाषाओं में विधिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है।

उपाबंध – क।

'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3257 जिसका उत्तर 07.08.2026 को दिया जाना हैं के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या														
क्र.स.	**एलएसए का नाम**	**एससी**	**एसटी**	**महिलाएं**	**बालक**	**अभिरक्षा में**	**दिव्यांग व्यक्ति**	**औद्योगिक कर्मकार**	**उभयलिंगी**	**मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार**	**बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित**	**सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)**	**अन्य**	**कुल**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	42	0	64	8	0	0	0	0	14	92	**220**
2	आंध्र प्रदेश	318	75	983	61	2,220	24	1	1	0	0	1,128	3,454	**8,265**
3	अरुणाचल प्रदेश	628	2,006	1,453	84	1,440	4	17	0	0	0	41	23	**5,696**
4	असम	1,254	3,098	6,168	2,366	17,711	188	1,286	1	2	813	8,922	21,940	**63,749**
5	बिहार	7,306	1,270	15,307	6,889	34,778	163	429	21	0	549	2,575	82,126	**1,51,413**
6	चंडीगढ़	15	0	1,355	238	418	8	0	1	0	0	692	95	**2,822**
7	छत्तीसगढ़	6,884	12,701	9,621	544	14,601	10	12	1	5	21	8,489	9,275	**62,164**
8	दादरा और नागर हवेली	2	6	21	0	15	0	11	0	0	0	0	0	**55**
	दमण और दीव	4	2	14	1	7	0	2	0	0	0	4	0	**34**
9	दिल्ली	1,705	16	22,631	2,761	24,794	342	1,538	13	912	32,940	12,984	21,246	**1,21,882**
10	गोवा	6	4	790	4	232	38	0	0	0	0	480	4	**1,558**
11	गुजरात	3,825	2,716	11,560	565	10,184	123	101	0	3	62	7,981	3,449	**40,569**
12	हरियाणा	1,568	0	7,818	468	35,367	137	7	3	0	26,611	3,151	1,733	**76,863**
13	हिमाचल प्रदेश	547	143	3,195	90	725	81	0	8	13	553	897	1,094	**7,346**
14	जम्मू और कश्मीर	757	398	4,082	510	1,184	145	1	3	0	32	2,759	1,525	**11,396**

क्र.सं.	एलएसए का नाम	एससी	एसटी	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	दिव्यांग व्यक्ति	औद्योगिक कर्मकार	उभयलिंगी	मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार	बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित	सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
15	झारखंड	21,387	27,451	47,687	14,730	19,352	770	5,266	664	34	59	2,534	1,29,369	**2,69,303**
16	कर्नाटक	6,751	3,876	11,955	932	8,647	340	314	39	2	0	3,210	17,340	**53,406**
17	केरल	2,789	441	15,812	3,899	5,653	225	137	54	85	49	5,822	1,532	**36,498**
18	लद्दाख	29	333	105	3	0	0	0	0	0	0	0	35	**505**
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20	मध्य प्रदेश	30,163	25,563	41,291	19,955	58,171	1,444	1,110	0	1	5	20,759	27,048	**2,25,510**
21	महाराष्ट्र	2,298	635	17,566	964	20,687	287	158	52	389	17	5,823	4,880	**53,756**
22	मणिपुर	751	8,585	7,621	2,487	282	129	17	26	686	38,304	2,881	866	**62,635**
23	मेघालय	27	716	490	68	865	0	0	0	0	3	81	121	**2,371**
24	मिजोरम	4	2,528	537	62	599	218	0	0	0	0	62	791	**4,801**
25	नागालैंड	373	2,342	557	137	628	56	0	0	0	0	510	0	**4,603**
26	ओडिशा	1,375	1,073	3,264	39	4,473	6,020	15	100	11	4	1,967	948	**19,289**
27	पुडुचेरी	26	0	181	256	71	0	1	0	0	0	49	37	**621**
28	पंजाब	5,287	28	13,714	419	24,764	243	101	6	1	447	9,968	5,383	**60,361**
29	राजस्थान	333	132	1,337	6,274	11,000	19	36	0	0	0	938	221	**20,290**
30	सिक्किम	32	118	553	18	218	2	0	0	0	0	127	6	**1,074**
31	**तमिलनाडु**	**1,881**	**782**	**10,962**	**178**	**8,989**	**135**	**90**	**6**	**11**	**32**	**7,186**	**14,928**	**45,180**
32	तेलंगाना	131	66	2,066	334	4,258	12	0	0	0	0	3,198	3,128	**13,193**
33	त्रिपुरा	795	831	3,732	286	1,115	41	0	38	24	0	1,610	1,492	**9,964**
34	उत्तर प्रदेश	2,776	83	2,487	1,654	7,328	231	89	251	0	1	4,964	9,215	**29,079**
35	उत्तराखंड	626	215	2,358	846	14,701	47	49	2	0	32	1,570	893	**21,339**
36	पश्चिमी बंगाल	5,020	2,590	14,423	1,404	18,383	101	111	18	69	7	18,516	1,712	**62,354**
	कुल	**1,07,673**	**1,00,823**	**2,83,738**	**69,526**	**3,53,924**	**11,591**	**10,899**	**1,308**	**2,248**	**1,00,541**	**1,41,892**	**3,66,001**	**15,50,164**

उपाबंध – क2

'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3257 जिसका उत्तर 07.08.2026 को दिया जाना हैं के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या														
क्र.सं.	**एलएसए का नाम**	**एससी**	**एसटी**	**महिलाएं**	**बालक**	**अभिरक्षा में**	**दिव्यांग व्यक्ति**	**औद्योगिक कर्मकार**	**उभयलिंगी**	**मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार**	**बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित**	**सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)**	**अन्य**	**कुल**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	120	20	3	1	42	0	0	0	28	127	**341**
2	आंध्र प्रदेश	234	47	1,162	107	3,289	8	1	3	0	0	1,437	4,978	**11,266**
3	अरुणाचल प्रदेश	1,658	3,946	1,979	237	1,330	8	30	2	1	0	33	12	**9,236**
4	असम	1,536	6,183	9,000	3,130	25,489	276	1,464	122	2	8	12,126	23,358	**82,694**
5	बिहार	4,673	1,399	10,374	6,550	31,677	162	585	48	0	618	2,647	25,772	**84,505**
6	चंडीगढ़	30	0	1,330	106	780	7	0	0	0	0	667	31	**2,951**
7	छत्तीसगढ़	10,815	14,336	12,068	607	21,610	109	0	6	0	4	11,868	9,451	**80,874**
8	दादरा और नागर हवेली	1	4	28	0	7	0	5	0	0	0	0	0	**45**
	दमण और दीव	10	10	39	4	24	3	12	1	1	1	14	0	**119**
9	दिल्ली	1,652	163	19,060	2,942	18,630	336	955	7	510	0	10,869	21,402	**76,526**
10	गोवा	17	20	892	14	314	15	0	0	0	0	569	48	**1,889**
11	गुजरात	3,882	8,271	12,828	1,404	10,862	173	83	0	0	8	7,999	4,957	**50,467**
12	हरियाणा	1,689	0	7,766	572	66,229	65	7	2	0	0	3,936	1,928	**82,194**
13	हिमाचल प्रदेश	545	88	3,159	112	703	86	8	1	0	3	835	682	**6,222**
14	जम्मू और कश्मीर	1,269	573	5,592	1,730	1,299	705	1	5	1	40	6,159	1,228	**18,602**

क्र.सं.	एलएसए का नाम	एससी	एसटी	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	दिव्यांग व्यक्ति	औद्योगिक कर्मकार	उभयलिंगी	मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार	बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित	सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
15	झारखंड	41,537	42,987	72,003	30,572	33,281	3,560	3,703	194	78	173	5,741	94,536	**3,28,365**
16	कर्नाटक	6,051	3,329	12,167	790	8,972	254	191	32	9	9	7,659	11,782	**51,245**
17	केरल	1,362	724	12,741	2,330	3,473	176	85	31	73	37	3,794	1,745	**26,571**
18	लद्दाख	0	80	192	9	43	0	0	0	0	0	0	0	**324**
19	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
20	मध्य प्रदेश	22,764	23,211	35,058	18,240	93,264	669	2,908	0	0	241	15,748	20,906	**2,33,009**
21	महाराष्ट्र	3,351	1,620	20,167	1,230	20,535	374	240	21	2	36	6,248	5,630	**59,454**
22	मणिपुर	346	6,989	7,697	1,504	498	159	48	19	0	78,868	2,433	501	**99,062**
23	मेघालय	20	710	544	86	877	1	0	11	6	0	233	266	**2,754**
24	मिजोरम	26	2,145	696	20	676	0	0	0	0	0	0	150	**3,713**
25	नागालैंड	608	2,365	604	432	499	52	0	0	0	0	452	0	**5,012**
26	ओडिशा	1,609	1,111	3,957	221	11,536	179	5	40	7	468	2,027	974	**22,134**
27	पुडुचेरी	31	0	155	240	100	0	0	0	0	0	53	37	**616**
28	पंजाब	5,516	2	14,762	526	33,615	86	38	0	0	0	9,879	1,089	**65,513**
29	राजस्थान	333	103	1,812	5,755	13,064	27	2	1	0	0	1,109	10	**22,216**
30	सिक्किम	18	118	464	25	167	1	0	0	0	0	103	5	**901**
31	**तमिलनाडु**	**2,214**	**357**	**12,479**	**323**	**12,088**	**201**	**197**	**15**	**0**	**59**	**11,110**	**13,485**	**52,528**
32	तेलंगाना	323	189	2,586	158	5,635	31	0	0	0	0	3,053	4,046	**16,021**
33	त्रिपुरा	829	621	3,348	192	1,588	61	36	115	0	1,460	1,244	809	**10,303**
34	उत्तर प्रदेश	1,799	5	2,091	616	6,979	176	32	107	0	0	5,315	5,612	**22,732**
35	उत्तराखंड	1,974	704	4,174	2,332	19,420	204	378	8	47	8	2,922	2,037	**34,208**
36	पश्चिमी बंगाल	10,680	6,029	23,057	4,394	24,398	148	1,722	53	56	124	19,523	2,730	**92,914**
	कुल	**1,29,402**	**1,28,440**	**3,16,151**	**87,530**	**4,72,954**	**8,313**	**12,778**	**844**	**793**	**82,165**	**1,57,833**	**2,60,324**	**16,57,527**

उपाबंध – क3

'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3257 जिसका उत्तर 07.08.2026 को दिया जाना हैं के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या														
क्र. सं.	**एसएलएसए का नाम**	**एससी**	**एसटी**	**महिलाएं**	**बालक**	**अभिरक्षा में**	**दिव्यांग व्यक्ति**	**औद्योगिक कर्मकार**	**उभयलिंगी**	**मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार**	**बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित**	**सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)**	**अन्य**	**कुल**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	141	38	53	6	42	0	3	0	36	125	**444**
2	आंध्र प्रदेश	351	96	1,969	205	3,728	31	0	0	0	0	2,487	4,492	**13,359**
3	अरुणाचल प्रदेश	1,562	3,423	2,016	174	1,053	43	115	0	1	6	53	775	**9,221**
4	असम	3,085	5,417	10,645	5,295	28,004	105	3,406	61	50	50	13,911	29,992	**1,00,021**
5	बिहार	2,740	1,099	10,354	8,715	31,326	266	850	36	0	957	2,945	17,073	**76,361**
6	चंडीगढ़	15,299	15,442	14,140	1,082	22,786	29	0	0	0	1	11,786	13,317	**93,882**
7	छत्तीसगढ़	0	7	63	0	9	0	4	0	0	0	0	0	**83**
8	दादरा और नागर हवेली	7	4	64	3	18	0	30	0	0	0	25	13	**164**
	दमण और दीव	1,709	66	19,698	3,443	19,886	368	305	8	2	0	9,467	17,602	**72,554**
9	दिल्ली	23	38	2,501	7	297	17	0	0	0	0	1,088	312	**4,283**
10	गोवा	7,809	17,685	22,593	15,485	16,824	679	254	56	0	29	13,994	19,244	**1,14,652**
11	गुजरात	1,819	2	10,505	835	1,13,459	205	54	2	0	0	5,772	3,122	**1,35,775**
12	हरियाणा	628	101	3,131	113	785	91	18	0	233	43	952	417	**6,512**
13	हिमाचल प्रदेश	1,712	2,030	5,182	2,775	3,165	1,029	9	3	0	620	8,201	1,604	**26,330**
14	जम्मू और कश्मीर	49,418	53,577	1,21,543	49,663	33,731	3,827	3,747	118	62	1	11,485	1,16,585	**4,43,757**

क्र. सं.	एलएसए का नाम	एससी	एसटी	महिलाएं	बालक	अभिरक्षा में	दिव्यांग व्यक्ति	औद्योगिक कर्मकार	उभयलिंगी	मानव दुर्व्यापार का पीड़ित या बेगार	बड़े पैमाने पर आपदा हिंसा, बाढ़, बहाव, भूकंप और औद्योगिक आपदा के पीड़ित	सामान्य (जिसकी वार्षिक आय विहित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
15	झारखंड	6,752	3,846	15,644	1,018	12,871	167	188	83	2	5	8,493	16,450	**65,519**
16	कर्नाटक	1,464	564	16,471	1,501	6,684	151	311	8	6	0	5,140	3,868	**36,168**
17	केरल	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
18	लद्दाख	17,587	18,706	44,609	20,900	84,331	360	2,341	2	5	2	17,399	24,859	**2,31,101**
19	लक्षद्वीप	3,340	1,105	20,346	2,736	20,322	1,220	270	29	74	101	7,915	7,607	**65,065**
20	मध्य प्रदेश	390	6,589	8,937	2,082	1,016	240	174	39	0	51,190	2,162	2,329	**75,148**
21	महाराष्ट्र	26	1,880	667	308	652	1	0	0	0	5	167	1,203	**4,909**
22	मणिपुर	2	3,026	1,160	78	84	1	0	0	15	0	35	388	**4,789**
23	मेघालय	1,757	3,296	1,813	2,002	680	532	0	0	11	8	1,252	0	**11,351**
24	मिजोरम	1,500	1,123	4,032	362	7,844	135	10	12	21	25	1,910	775	**17,749**
25	नागालैंड	29	0	159	145	130	0	0	0	0	0	50	23	**536**
26	ओडिशा	8,360	6	16,704	645	42,114	1,062	101	6	0	0	13,502	2,628	**85,128**
27	पुडुचेरी	564	158	2,871	6,528	16,135	58	5	0	0	0	2,729	133	**29,181**
28	पंजाब	29	113	619	25	167	7	0	0	0	0	169	14	**1,143**
29	राजस्थान	2,005	425	12,619	551	13,828	200	71	26	3	2	12,578	13,666	**55,974**
30	सिक्किम	572	457	2,864	626	8,183	31	0	0	0	0	3,303	5,068	**21,104**
31	**तमिलनाडु**	1,005	898	3,195	214	1,453	42	0	36	0	0	1,057	2,282	**10,182**
32	तेलंगाना	9	8	1,455	126	727	7	0	0	0	0	1,005	34	**3,371**
33	त्रिपुरा	2,325	313	3,712	1,793	9,776	797	289	486	0	0	5,165	7,092	**31,748**
34	उत्तर प्रदेश	2,553	1,178	7,493	4,618	24,724	1,722	739	6	0	0	4,700	4,326	**52,059**
35	उत्तराखंड	10,884	5,137	24,765	3,905	30,895	1,851	597	55	65	52	23,415	6,263	**1,07,884**
36	पश्चिमी बंगाल	0	108	115	0	32	0	0	0	0	0	0	0	**255**
	कुल	**1,47,320**	**1,47,932**	**4,14,795**	**1,37,996**	**5,57,772**	**15,280**	**13,930**	**1,072**	**553**	**53,097**	**1,94,348**	**3,23,681**	**20,07,776**
